125th Birth Anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar

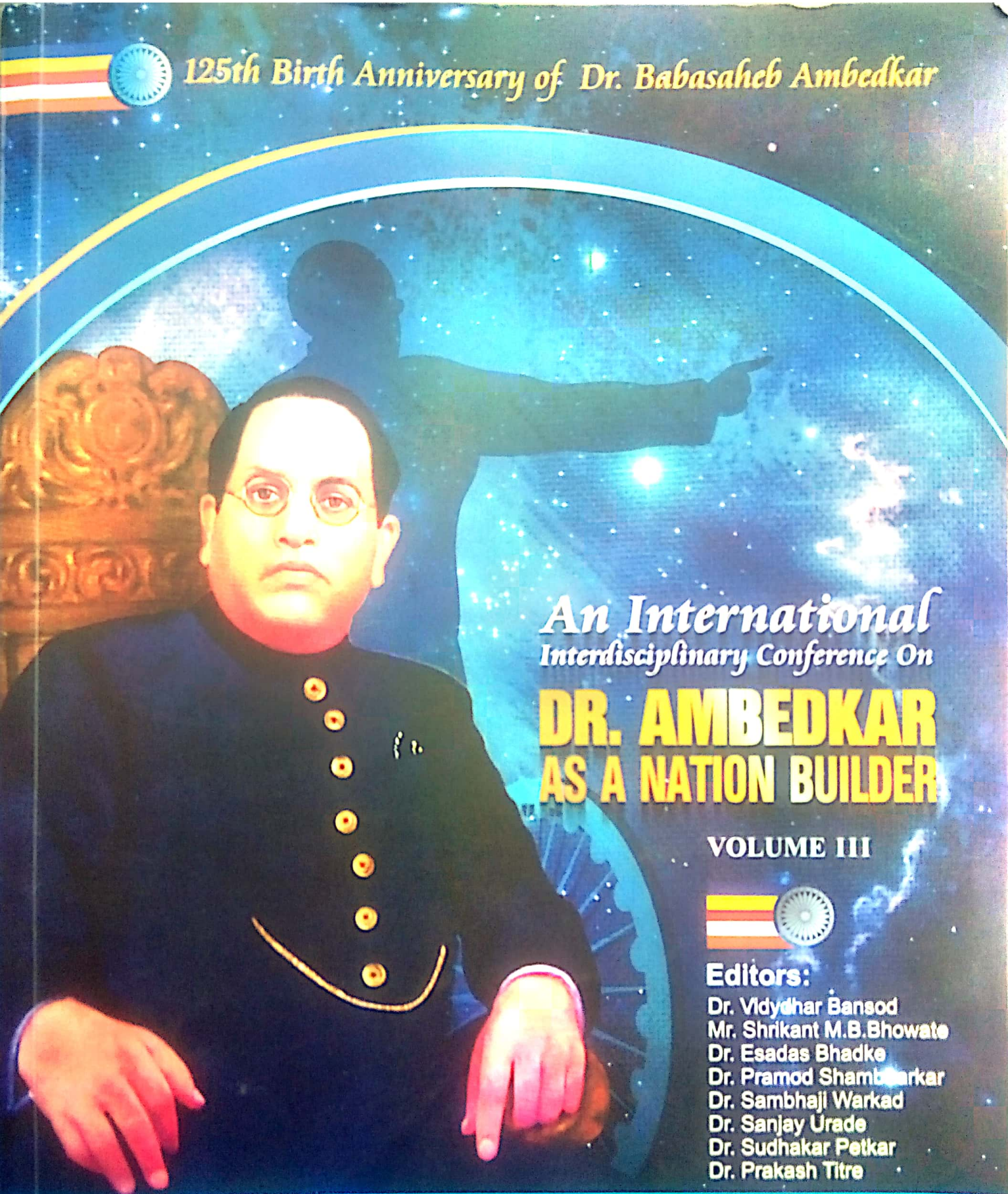

An International
Interdisciplinary Conference On

DR. AMBEDKAR AS A NATION BUILDER

VOLUME III

Editors:
Dr. Vidydhar Bansod
Mr. Shrikant M.B.Bhowate
Dr. Esadas Bhadke
Dr. Pramod Shambharkar
Dr. Sambhaji Warkad
Dr. Sanjay Urade
Dr. Sudhakar Petkar
Dr. Prakash Titre

Dr. Esadas Bhadke
Convener

Dr. Pramod Shambharkar
Organising Secretary

Prof. Sudhakar Petkar
Convener

Dr. BABASAHEB AMBEDKAR GONDWANA UNIVERSITY, TEACHERS' ASSOCIATION, CHANDRAPUR

Scanned with CamScanner

Dr. Ambedkar As A Nation Builder

Volume - III (Proceeding)

Eidtors
Dr. Vidydhar Bansod
Mr. Shrikant M. B. Bhowate
Dr. Sanjay Urade
Dr. Sambhaji Warkad
Dr. Esadas Bhadke
Dr. Pramod Shambharkar
Dr. Sudhakar Petkar
Dr. Pramod Katkar

- प्रथम आवृत्ती : 13 फेब्रुवारी 2016

- © डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गोंडवाना विद्यापीठ, टिचर्स असोसिएशन, चंद्रपूर

- प्रकाशक :
डॉ. एस.एम.वरकड
प्राचार्य
शिवाजी कॉलेज कोरपना, जि. चंद्रपूर

- अक्षर संपदा
सिवली ग्राफिक्स, नागपूर
शशी भोवते, मो. : 9881712149

- मुखपृष्ठ :
निलेश कांबळे, मुंबई

- मुद्रक :
वंश क्रिएशन, नागपूर
मो. : 9595727614

- सहयोग मूल्य –
800/-

ISBN - 978-81-930336-9-2

DISCLAIMER
The views expressed in this articles are those of author's and donot necessarily reflects views and should not be attributed to editors.

Scanned with CamScanner

80.	Vision Of B. R. Ambedkar : Eradication Of Untouchability From India	Dr. S. K. Singh	
81.	Dr. Ambedkar's Views On Literature	Archana P. Tiwari	222
82.	Impact Of Dr. Ambedkar's Views On Literature With Reference To Select Text Of O. V. Vijayan	Dr. S.M. Warkad Jagdish K. Jangale	225 227
83.	Secularism And Indian Constitution	Dr. B. R. Kamble	
84	Socio-economic Perspectives -the Root Of Child Labour Problem In India	Arti Samarth	230
85.	Impotrance Of Library And Books	Dr. Khaja Moinuddin	233 236

हिंदी विभाग

86.	महिला सशक्तीकरण में समाजकार्य का हस्तक्षेप	कम्ब कुमार सिन्हा दीनानाथ यादव	239
87.	भारत का विकास और औद्योगिक नीतियाँ	अर्चना एस. देशमुख	239
88.	भारतीय संविधान में मानवाधिकार	प्रा.किशोर बी. वासनिक	241
89.	मानव अधिकार और भारतीय संविधान	अनीश कुमार	243
90.	जाति उन्मूलन इतिहास वर्तमान और भविष्य	मनोज कुमार शशिकांत रामदासपंत वाठ	246
91.	डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर और दलित साहित्य	डॉ. सुनिता बन्सोड	252
92.	डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का भारतीय संविधान निर्माण में योगदान	श्रीकांत गोपीचन्द बोरकर आम्रपाली आसाराम जांभुल्कर	254
93.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के राजनैतिक विचार	प्रा. कुलदिप आर. गोंड	258
94.	चक्रवर्ती मौर्य सम्राट अशोक और उसका धम्म	प्रा. योगेश भोयर	260
95.	अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाती का शैक्षिक क्षेत्रो मे मानसिक शोषण	कु. वैशाली श्रीकृष्ण हिवराळे	262
96.	श्रमकल्याण और डॉ .आंबेडकर	डॉ बिना मधुकर मून	265
97.	डॉ. अम्बेडकर के विचार : स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में	कल्पना सतीष कावळे	267
98.	डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर प्रेरित हिंदी साहित्य	प्रा.आर. व्ही. पोपळघट.	269
99.	डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक विचारों का विश्लेषण	प्रा. मुकेश ए. रहांगडाले	271
100.	अनुसूचित जाती एवं जनजाति के लिए संवैधानिक उपाय योजना	श्रीकांत गोपीचन्द बोरकर आम्रपाली आसाराम जांभुळकर	273
101.	दलित सशक्तीकरण : अम्बेडकरवादी आंदोलन और राजनीति	प्रा. विनोद एम. पुनवटकर	276
102.	हिंदू कोड बिल महिला-क्रांति का मुक्तिसूत्र	प्रफुल्ल भगवान मेश्राम	279
103.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और भारतीय संविधान	सहा.प्रा.देवलाल सु. आठवले	282
104.	भारतीय सविंधान और दलित महिलाओं के मौलीक अधिकार	कु.नीलीमा कृष्णकांत ताकसांडे	284

मराठी विभाग

105.	मानवी हक्क आणि भारतीय संविधान	प्रा. अशोक बहादुरे	287
106.	भारतीय राज्यघटना आणि राष्ट्रीय महिला, मानवी हक्क, अल्पसंख्यांक आयोग	प्रा. के. एम. लोखंडे	289
107.	भारतीय संविधान आणि मानवाधिकार	प्रा. प्रकाश वा. पानतावणे	294
108.	भारतीय राज्यघटना आणि मानवी हक्क	प्रा. धर्मदास विश्वनाथ घोडेस्वार	297
109.	भारताचे परराष्ट्र धोरण व शेजारील देशांशी संबंध	प्रा. संतोष संभाजी डाखरे	300
110.	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शिक्षणविषयक दृष्टिकोन	भिमादेवी महादेव डांगे	304
111.	भारतातील शेतकरी आणि भारतातील कृषी विषयक धोरण	प्रा. डि. टी. डोंगरे	306
112.	श्रमिकांच्या चळवळी	प्रा.डॉ.सौ.शरयू मनिष पोतनुरवार	308
113.	भारतीय विद्युत समस्या आणि तिचे व्यवस्थापन	सौ. ममता दहाड	310
114.	अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गियांसाठी घटनात्मक तरतूदी	प्रा. डॉ. रविंद्र विठोबा विखार	311
115.	मानवी हक्क आणि भारतीय राज्यघटना	सूर्यवंशी गणेश दामाजी	314

Scanned with CamScanner

संविधान के निर्माता बाबासाहब डॉ. भिमराव आंबेडकर ने सदियों से चली आ रही सामाजिक विषमता को समाप्त कर समतामूलक समाज बनाने हेतु भारतीय संविधान में मानवीय मूल्यों को आबाधित किया है। उन मानवीय मूल्यों से ही भारतीय समाज एकनिष्ठ रह सकता है। यह कह सकते है की भारतीय संविधान मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रधान करने का एक मौलिक दस्तावेज है। भारतीय संविधान का विरोध करने का मतलब है मानवाधिकारों का विरोध करना।

संदर्भग्रंथ सूची :

१. डॉ. चन्देल धर्मवीर, '' मानवाधिकार सिद्धान्त एवं विमर्श'', पोइन्ट पब्लिशर्स, जयपूर, २०१३.
२. लाम्बा सी.एस., ''मानवाधिकार और पिड़डा वर्ग'', अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपूर, २००५.
३. मीना, जनकसिंह, ''लोक सेवा गारण्टी कानून'', राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपूर, २०१२.
४. आचार्य बसु डी.सी., ''इन्ट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टीटयूशन ऑफ इण्डिया'', वाधवा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, २००४.
५. वर्मा श्याम बहादूर, ''भारत का संविधान'' प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, २००८.
६. www. google. com

■■■■

मानव अधिकार और भारतीय संविधान

■ अनीश कुमार

प्रस्तावना –

मानव अधिकार सभी लोगों के लिए समान होते हैं। नैतिक व कानूनी रूप में जब हम मानव अधिकार की बात करते हैं तो जो मानव जाति के विकास के लिए मूलभूत मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करता हो, वह मानवाधिकार कहलाता है। मानव अधिकार को मूलाधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतरनिहित अधिकार तथा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव मात्र होने के नाते ही प्राप्त हो जाते हैं। भले ही उसकी राष्ट्रियता जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि कुछ भी हो। मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम –१९९३ में मनवाधिकारों को पेईभासित करते हुए लिखा गया है की व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता और गरिमा से संबन्धित वे अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं, अंतरराष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित हैं अथवा भारत में न्यालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

मानव समाज मे प्रत्येक स्तर पर कई तरह के विभेद उपस्थित है। भाषा, रंग, प्रजातीय स्तर, और मानसिक स्तर पर मानव समाज के बीच में भेद किया जाता है। इन सबके बावजूद कुछ अनिवार्यताएं सभी समाजों में समान रूप से पाईं जाती हैं ये अनिवार्यताएं ही मानवाधिकार हैं। ये अधिकार मानव को इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वह मानव होता है।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद १९२९ ई में अंतरराष्ट्रीय विधि संस्था ने एक अंतरराष्ट्रीय अधिकार घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसके बहुत से प्रावधान कुछ देशों के संविधानों (फ्रांस, अमेरिका) ने शामिल कर लिए तथा विश्व मानवता के लिए लागू किया गया।

घोषणा पत्र के अनुछेद- १ के अनुसार, यह प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है की वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन , स्वतन्त्रता, संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करे और इन अधिकारों का अपनी सीमा के बाहर भी राष्ट्रियता, लिंग, प्रजाति, भाषा एवं धर्म के भेदभाव से इसका परीक्षण करे।

आजादी के पश्चात भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रावधान बनाए गए तथा उन्हें न्याय,

शोध छात्र, हिन्दी साहित्य महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी वि.वि. वर्धा,महाराष्ट्र

Scanned with CamScanner

स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व का दर्जा प्रदान किया गया । हमारे संविधान निर्माता मुख्यत: बाबा साहब डॉ भीमराव जी अंबेडकर अमेरिका फ्रांस व रूसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे । संपत्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत संबंध बनाने की स्वतन्त्रता उनके प्राथमिक अधिकार थे । विविध वैचारिकी एवं ऐतिहासिक श्रोतों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने वैचारिक समन्वय वाला संविधान प्रस्तुत किया । उन्होने बुर्जूआवादी स्वतन्त्रता और समानता के सिद्धान्तों को तथा रूसी क्रांति के समाजवादी आदर्शो को हमारे संविधान मे जगह दी जिसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान में दो प्रमुख विचारधाराओं से प्रभावित आदर्शो व सिद्धान्तों के रूप मे मौलिक अधिकार जिसे अध्याय ३ तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों जिसे अध्याय ४ में स्थापित किया गया है ।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत की सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, विश्वास आस्था और पुजा की स्वतन्त्रता, अवसर की समानता तथा भातृत्व भाव से प्रत्येक व्यक्ति की एकता अखंडता को राष्ट्र के रूप मे व्यक्त करती है ।

भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्वों के रूप में लिखा गया है ।

(क)– मौलिक अधिकार

न्यायिक रूप से लागू किए जाने वाले मौलिक अधिकार समस्त नागरिक और राजनीतिक अधिकारों सहित अल्पसंख्यक के अधिकारों को भी रेखांकित करने वाली यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग ३ में अनुछेद १२ से अनुछेद ३५ तक विस्तृत हैं यह अधिकार समानता, स्वतन्त्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म संस्कृति और शिक्षा तथा सवैधानिक उपचारों का अधिकार है ।

अनुछेद १४ समस्त नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है । अनुछेद १५ राज्य को धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से प्रतिबंधित करती है तथा अनुछेद १६ में सभी नागरिकों को अवसर की समानता उपलब्ध कराई गई है और अनुछेद १७ छुआछूत का निषेध करती है और ऐसा करने वालों को दंडनीय अपराध का भागीदार मानती है । अनुछेद १५ व १६ दोनों सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कुछ विशेष प्रावधान निर्मित करने का अधिकार प्रदान करते हैं । अनुछेद १८ सभी तरह के असैनिक और अशैक्षणिक उपाधियों के अंत की व्यवस्था करता है । अनुछेद १९ में वर्णित स्वतन्त्रता का अधिकार सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की सभा, संगठन बुलाने की, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की, समस्त देश में भ्रमण करने की और भारत में कहीं भी आवास निर्मित करने की तथा किसी भी व्यवसाय को शुरू करने की स्वतन्त्रता प्रदान करती है और अनुछेद २० व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए संवैधानिक स्तर पर दंड की व्यवस्था करती है तथा १९ जो समस्त मुलाधिकारों का प्रमुख तत्व है वह घोषित करती है की किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतन्त्रता से विधि के अनुसार निर्मित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकेगा अनुछेद २२ के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारणों कानूनी सहायता प्राप्त करने और २४ घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का अधिकार प्रदान करता है सिर्फ इस तथ्य के की वह उपचारात्मक रूप से गिरफ़्तार न किया गया हो ।

अनुछेद २३ में देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है और अनुछेद २४ ,१४ वर्ष से कम आयू के किसी भी भारतीय बच्चे को काम न करने का अधिकार प्रदान करता है । अनुछेद २५ के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चेतना और नैतिकता के अनुसार उसके अपने धर्म, आस्था और विश्वास को मानने की स्वतत्न्त्रता प्रदान की गई है और सभी धर्मों को, पंथों को अपने के अनुसार धार्मिक संस्था और गतिविधि चलाने का अधिकार दिया गया है । अनुछेद २७ व २८ के अनुसार किसी भी धार्मिक शैक्षणिक संस्था को वित्तीय सहयोग नहीं देगा । किसी भी धर्म एवं पंथ के नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति के विकास को आजादी दी गई है । अनुछेद २९ में शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्था गठित करने का अधिकार अनुछेद ३० प्रदान करता है ।

(ख) नीति निर्देशक तत्व

भारतीय संविधान कुछ अधिकार राज्यों को भी दिए हैं जिससे वह समाज की असमानता व अन्य अधिकारों के ऊपर कानून बनाते समय इन तत्वों की सहायता ले सकें । राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा की सुनिश्चित रूप से अनुछेद ३९(क) के अनुसार सभी नागरिकों को समान रूप से जीविकोंपार्जन का साधन प्राप्त करने का अधिकार हो । (ख) के अनुसार समूहिक श्रोतों व सामाग्री पर सामान्य हित को वरीयता मिलनी चाहिए । (ग) के अनुसार संपत्ति तथा उत्पादन के साधनो के विकेन्द्रीकरण का निषेध किया गया है । (घ) के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो । (च) के अनुसार बाल श्रम का निषेध तथा पुरुष व कर्मकार स्त्रियों के स्वास्थ्य के अधिकार की बात की गई है ।

अनुछेद ४६ के अनुसार अनुसूचित जतियों, अनुसूचित जनजतियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अर्थात राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सरंक्षा करेगा ।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुछेद ३२)

डॉ भीमराव जी अंबेडकर इसे संविधान का हृदंय एवं आत्मा कहा था । यह नागरिकों को अधिकारों देता है की यदि सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जिससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो

Scanned with CamScanner

नागरिकों को न्यायिक समाधान पाने का अधिकार है ।

अनुछेद ३२ (१) यह अधिकार सभी व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय में जाने तथा अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार देता है ।

(२) सर्वोच्च न्यायालय को आदेश, रिट निर्देश(पाँच प्रकार के) जारी करने का अधिकार देता है । डॉ अंबेडकर के अनुसार यह अनुछेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुछेद है जिसके बिना संविधान व्यर्थ है । इस अनुछेद के बिना अन्य मौलिक अधिकारों को वास्तविक नहीं मन सकते हैं क्योंकि यही अनुछेद व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार दिलवाता है । बिना इस अधिकार के अन्य अधिकार मात्र कागजी रह जाएंगे ।

रीट ५ प्रकार के है–

(१)बंदी प्रत्यक्षीकरण (४) अधिकार पृच्छ।
(२)परमादेश (५) उत्प्रेषण रिट
(३)प्रतिषेध

(३) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुछेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकेगा ।

मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने कमजोर वर्गों के हितों के लिए विभिन्न आयोगों का भी गठन किया गया है । भारत सरकार विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा मनवाधिकारों के हित के लिए कानून बनाए हैं ।

१) भारत का संविधान
उद्देशिका, भाग ३ व ४ और ४(क), अनु २२६, ३००(क), ३२५, ३२६
२) राष्ट्रीय मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम, १९९३
३) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, १९९३
४) राष्ट्रीय अनुसूचित/ जनजाति आयोग
५) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, १९९२
६) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९०
७) सिविल अधिकार सरंक्षण अधिनियम, १९५५
८) अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, १९८९
९) सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, १९९३
१०) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, १९५६
११) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, १९८६
१२) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, १९६१
१३) सती (निवारण) अधिनियम, १९८७
१४) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१
१५) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, १९२९
१६) बाल (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम, १९३३
१७) अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, १९६०
१८) बालक अधिनियम, १९६०
१९) बालक श्रम (प्रतिषेद और विनिमयन) अधिनियम, १९८६
२०) किशोर न्याय अधिनियम, १९८६
२१) अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर) अधिनियम, १९५६
२२) जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, १९५०
२३) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, १९८७
२४) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, १९७६

मानवाधिकारों की समस्या विश्व की अन्य समस्याओं मे से प्रमुख है । पुलिस थानों मे ही नहीं बल्कि शिक्षा संस्थाओं, फैक्ट्रियों, अस्पतालों, सुधार गृहों, परिवार आदि जगह आर्थिक, सामाजिक असमानता के कारण मानवाधिकार का हनन होता है । भारत में संविधान में लिखित होनर के बावजूद सबसे ज्यादा मनवाधिकारों का हनन जाति के आधार पर होती है । सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य बदलने के साथ मनवाधिकारों के संदर्भ मे भी बदलाव आता है । भारत मे मनवाधिकारों की हनन की समस्या बड़ी गंभीर है । जहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बावजूद सामाजिक, आर्थिक समानता प्राप्त नहीं है ।

डॉ अंबेडकर अपने अछूतोद्धार आंदोलनों के दौरान ही मानवीय अधिकारों की मांग प्रस्तुत की थी। वह पराधीनता की भावना से घृणा करते थे और अछूतो पर सवर्ण हिन्दू सुधारकों के सरंक्षण के कट्टर विरोधी थे । बाबा साहेब ने मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए संविधान मे व्यवस्था की थी । उन्होने इन सिद्धान्तो की स्थापना के लिए जीवन भर संघर्ष किया । शूद्रों व स्त्रियों के अधिकार दिलाने के लिए वह जीवनपर्यंत संघर्षरत रहे और अंत में जब वे विधि मंत्री के रूप में स्त्रियों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने वाले कानून पास कराने मे सफलता नहीं पा सके तो वह अपने पद से त्यागपत्र दे दिये ।

इस प्रकार भारतीय संविधान एक जनतान्त्रिक रूप से निर्मित सरकार की व्यवस्था ही नहीं वरन जनतान्त्रिक शासन प्रणाली एवं जनतान्त्रिक जीवन पद्धति की प्रतिबिंब भी है । भारत के समस्त नागरिक समान रूप से अपने-अपने व्यक्तित्व विकास के लिए मौलिक अधिकारों के प्रयोग की बौद्धिक क्षमता रखते हैं । भारत के उच्चतम न्यायालय में मूलाधिकारों को प्राकृतिक अधिकार अथवा मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी है । मानव अधिकारों की रक्षा, देशों की सीमाओं और विचारधाराओं से परे एक विश्वव्यापी जिम्मेवारी है जिसमें सबकी भागीदारी अनिवार्य है ।

संदर्भ सूची –

१) गौतम, रूपचन्द (सभ), प्रथम संस्करण-२००८ए दलित मानवाधिकार, कांति पब्लिकेशन्स, दिल्ली, ISBN-९७८-८१-

Scanned with CamScanner

७३१२-०८३-१
(२) (डॉ) शर्मा, कुमार सुरेन्द्र, प्रथम संस्करण,२००७ संविधान और सरकार, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, ISBN ९७८-८१-८३५६-२४८-५
(३) शर्मा, रमाए मिश्रा, एस०ए के०ए प्रथम संस्करण-२०१२ अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, ISBN-९७८-८१-८३३०-२१५-९
(४) (डॉ) शर्मा, माता, प्रसाद, संस्करण-२०१० मानवाधिकार और शिक्षा, श्रीकविता प्रकाशन, दिल्ली, ISBN- ८१-८९४६२-६०-१
(५) (डॉ) त्रिवेदी, आर० एन० (डॉ) राय, एम० पी० द्वितीय संस्करण-२००९ भारतीय संविधान, कालेज बुक डिपो, जयपुर, ISBN ८१-८५७८८-०६-५

■■■■

जाति उन्मूलन इतिहास वर्तमान और भविष्य

■ मनोज कुमा
■ शशिकांत रा. यादव

जाति व्यवस्था के स्रोत मिथक और इतिहास की दरारों में पैवस्त हैं। प्राचीन भारत का मिथकीय इतिहास हमें सटीक तरीके से यह नहीं जानने देता कि इस व्यवस्था का आविर्भाव कैसे हुआ था और यह सदियों तक कैसे फलती-फूलती रही। इस विषय में बड़े-बड़े विद्वानों के काम के बावजूद इन पहलुओं पर कोई तय निष्कर्ष अब तक नहीं निकल सका है। प्रत्यक्ष तौर पर जो दिखता है वह यह है कि जाति एक ऐसी ताकत है जो लोगों पर सामाजिक अनुक्रम में उनकी अवस्थिति के हिसाब से असर डालती है। इतिहास से गुजरते हुए जाति व्यवस्था का शास्त्रीय स्वरूप बहुत कुछ बदलता रहा है, बावजूद इसके सबसे बड़े शिकार अब भी दलित ही हैं जिनकी संख्या भारत की कुल आबादी का छठवां हिस्सा है।

ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में दुनिया के दूसरे हिस्सों में सामाजिक स्तरीकरण नहीं पाया जाता था, लेकिन भारत के बारे में मौलिक बात यह थी कि यहां उसे धार्मिक मान्यता मिली हुई थी और इसके स्रोत दैवीय माने जाते थे। आम मान्यता यह है कि वर्ण-व्यवस्था ही बाद में जाकर तमाम जातियों के रूप में विकसित हुई। एक कहीं ज्यादा विश्वसनीय विचार यह है कि इस उपमहाद्वीप में विचरने वाली घूमंतू जनजातियों ने जब खेती करने के लिए अपने-अपने ठिकाने बनाए और बसावट हुई, तो उन्होंने ऐसा करने के क्रम में अपनी जनजातीय पहचान खो नहीं दी, जैसा कि और जगहों पर हुआ था। इस अनोखी विशिष्टता की एक वजह इस उपमहाद्वीप को मिली कुदरती नेमतों में देखी जा सकती है। यहां भरपूर उपजाऊ समतल मैदान था, अच्छी धूप होती है और बारिश भी नियमित व पर्याप्त थी जिसके कारण जनजातीय परिवारों के लिए जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर खुद को बचाए रखना मुमकिन था जबकि दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं था। मसलन योरोप में, जहां धूप कम होती है, बारिश भी अनियमित है और ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, लोगों की फौज को काफी बड़े भूखंड पर काम में लगाना एक मजबूरी थी। इसी ने वहां दास प्रथा को जन्म दिया। जातियां और कुछ नहीं थीं, बल्कि यही बसी हुई जनजातियां थीं जिन्होंने अपने-अपने कुलचिह्न बचाए रखे थे और जिसका अस्तित्व वर्णो के उद्भव से पहले का है। इनका रिश्ता बाद में इनके पेशे से जुड़

शोधार्थी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

Scanned with CamScanner